प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

डीन,
कान्ती देवी मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
मथुरा।

संख्याःएमई–3/2019/06 लखनऊःदिनांकः 02 जनवरी,2019

विषयः नान/पैरा–क्लीनिकल विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक दिनांक 21.12.2018 के संदर्भ मे कहना है कि चिकित्सा शिक्षा संबंधी स्नातक एवं स्नातकोत्तर संबंधी सभी पाठ्यक्रमों की सर्वोच्च नियंत्रक संस्था मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया है और उसी के द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी होते हैं। स्नातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ करने हेतु संस्था के स्तर संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया में आवेदन करना होता है, जिसके संदर्भ मे इस कार्यालय स्तर पर किसी कार्यवाही कोई आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

डीन,
कान्ती देवी मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर
मथुरा।

संख्याःएमई–3/2019/ 551 लखनऊःदिनांकः 05 मार्च,2019

विषयः क्लीनिकल विषय मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र/अनुमति पत्र प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–केडीएमसीएचआरसी/डीन/2019/8635 दिनांक 22–02–2019 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा क्लीनिकल विषय मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र/अनुमति पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ मे कहना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या–एमई–3/2019/06 दिनांक 02 जनवरी 2019 के द्वारा पूर्व मे सूचित किया जा चुका है कि चिकित्सा शिक्षा संबंधी स्नातक एवं स्नातकोत्तर संबंधी सभी पाठ्यक्रमों की सर्वोच्च नियंत्रक संस्था मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया है और काउन्सिल के द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी होते हैं। फिर भी सूचित करना है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना दिनांक 07 जून 2018 मे व्यवस्था की गयी है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्रदान करने के लिए अभी मान्यता प्रदान न किए गये मेडिकल कालेजो को यह अनुमति होगी कि वे तीसरे नवीनीकरण के समय अर्थात् एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के चौथे बैच के दाखिले के साथ प्री–क्लीनिकल और पैरा क्लीनिकल विषय और चौथे नवीनीकरण अर्थात एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के पांचवे बैच के दाखिले के साथ क्लीनकल विषय मे स्नातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ किये जाने हेतु आवेदन किये जा सकते है। इस संबंध मे संस्था के स्तर संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया में आवेदन करना होता है।

भवदीय,

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।